

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जीवाजी विश्वविद्यालय कूलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के जार से हो) किया जाए तो न
कि किसी उत्तर प्रणालीमें के आम हो।
ट्रैनिंग विषय पर यारे पूरे ऐ प्र
व्यवहार हुआ हो तो पन्न क्रमांक पर टिकाऊ
अवश्य दिखाया जाए जिससे सविधा हो।



ग्राम : बड़ीखाटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2342829
फैक्ट्री : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2014/1312

दिनांक: 13-11-2014

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध JAIN COLLEGE, GWALIOR को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/अंचालित M.ED. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति जहांदर स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विज्ञानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. PROF. ASHOK SHARMA, SOS IN ADULT EDUCATION, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR (संयोजक)
2. PROF. NEERAJ JAIN, SOS IN PHYSIC, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR
3. PROF. A.K. SINGH, SOS ANCIENT HISTORY, JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, क्रमांक, रुपीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 03 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालयमें निरीक्षण प्रतीयेत्व प्रदत्त किया जावे। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देका अन्यथाविक है; निरीक्षण समिति के सदस्यों को 1000/- प्रति सदस्य मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर निर्देश है कि समिति के संयोजक द्वारा दी गयी निर्धारित तिथि पर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 5 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)